2025:CGHC:22807–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 16/2021

1 अब्दुल शहीद पिता अब्दुल करीम अंसारी, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी– नवापारा, वार्ड क्रमांक 01, पोड़ी, थाना पोड़ी, जिला कोरिया छत्तीसगढ़, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1 छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना पोड़ी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़., जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से	: सुश्री मधुनिशा सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से	: श्री संघर्ष पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर आदेश

न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु, द्वारा

10/06/2025

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मधुनिशा सिंह तथा प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय को सुना।

2. यह अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ के न्यायालय द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 11/2018 में दिनांक 23.11.2020 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन	आजीवन कारावास और 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 के अधीन	आजीवन कारावास और 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
दोनों दण्डादेशों को साथ–साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है ।	

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि शिकायतकर्ता/पीड़ित (अ.सा.–5) के भाई को जारी नोटिस की तामीली कर दी गई है,परंतु शिकायतकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु वर्तमान अपील में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 07.04.2018 को दोपहर लगभग 1.00 बजे जब पीड़ित की माँ दोपहर के भोजन के लिए अपने घर लौटी, तो उसने अपने देवर को अपने पुत्र (पीड़ित) के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, उसके साथ लैंगिक हमला/लैंगिक संभोग करते हुए पाया,तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया गई एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के दौरान, नजरी नक्शा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया। रिपोर्ट प्रदर्श पी/22 के अधीन पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और पीड़ित सहित सभी साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पुलिस द्वारा और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दर्ज किए गए। इसके पूर्ण होने के उपरांत, तदनुसार अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के उपरांत, आरोप पढ़कर सुनाए गए और अपीलार्थी को समझाए गए, जिस पर उसने अपराध करने से इनकार किया एवं विचारण चाहा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने अपने समर्थन में 15 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष होने एवं प्रकरण में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया।

6. अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 23/11/2020 के निर्णय में अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया एवं इस निर्णय के पैरा एक में उल्लिखित अनुसार दण्डित किया। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़ित का कथन विरोधाभासों और लोपों से भरा है,अतः विश्वसनीय नहीं है। आगे उनका तर्क है कि शिकायतकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण

साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और चिकित्सक ने भी लैंगिक संभोग के बारे में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया है। आगे उनका तर्क है कि दोषसिद्धि परिकल्पना पर आधारित नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि पीड़ित एक बाल साक्षी है, अतः संपुष्टि के अभाव में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और अभियोजन की कहानी संदेह से भरी है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि शिकायतकर्ता/अ.सा.–4, पीड़ित की माँ होने के बावजूद, पक्षद्रोही हो गई है, तथापि, इसका कारण भी स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्त और वह रिश्तेदार हैं। आगे उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त, शिकायतकर्ता का देवर है और पीड़ित/अ.सा.–5 ने घटना के तरीके को अभिलेख पर विधिवत साबित कर दिया है और आरोपित अपराधों को करने में अभियुक्त की भूमिका भी बताई है। आगे उनका यह भी तर्क है कि पीड़ित के गुप्तांग पर चोट की बात चिकित्सा रिपोर्ट (प्र.पी./22) और उपस्थित चिकित्सक अ.सा.–11 के कथन से साबित होती है। उनका यह भी तर्क है कि पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम है, जो कि सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान निर्विवाद रही, यह बात अ.सा.–1 (मोहम्मद शरीफ सैय्यद), अ.सा.–4 (शमशुनिशा), अ.सा.–5 (अयान), अ.सा.–10 (मुमताज) और अ.सा.–11 (डॉ. प्रदीप कुमार रोहन) के कथनों से साबित होती है। आगे उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उचित व न्यायसंगत है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

10. अ.सा.–1 पीड़ित का पिता है, जिसने पीड़ित की आयु लगभग 4 वर्ष बताई है। अ.सा.–4, पीड़ित की माँ, ने पीड़ित की आयु लगभग 5 वर्ष बताई है। पीड़ित अ.सा.–5 ने अपने परीक्षण के दौरान कथन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसकी आयु 12 वर्ष से कम निर्धारित की है। अ.सा.–10 ने आंगनबाड़ी अभिलेख के विवरण को प्र.पी/19 के रूप में प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार पीड़ित की जन्मतिथि दिनांक 01.04.2013 बताई गई है। प्रतिपरीक्षण के दौरान इन साक्षियों के कथन को पूर्णतः चुनौती नहीं दी गई। अतः चुनौती के अभाव में और अभिलेख पर प्रस्तुत प्रमाणित सामग्री के अभाव में, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि घटना की तिथि को पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की होने के कारण, पोक्सो अधिनियम की धारा 2(घ) के अर्थ में 'बालक' है।

11. आगामी अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलार्थी ने पीड़ित के साथ ऐसा जघन्य कृत्य किया था या नहीं?

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़ित की माँ, अ.सा. 4 और पिता, अ.सा. 1, पक्षद्रोही हो गए हैं। अन्य साक्षी अ.सा. 2 और अ.सा. 3, जिन्हें अ.सा. 1 और अ.सा. 4 के कथनों की संपुष्टि करनी थी, भी पक्षद्रोही हो गए हैं।

13. उनके पक्षद्रोही होने का कारण स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्त, पीड़ित के पिता, अ.सा.–1 का भाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस रिश्ते की आड़ में उनके मध्य समझौता हो गया होगा। यद्यपि, अ.सा.–1 और अ.सा.–4 दोनों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर जब अभियुक्त उनके घर आया था, वे घर पर उपस्थित नहीं थे। यह कथन न केवल निर्विवाद है, बल्कि बचाव पक्ष द्वारा यह दर्शाने के लिए एक सकारात्मक सुझाव भी दिया गया है कि घटना की तारीख को मोबाइल फोन तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई थी, जिससे यह निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि घटना की तारीख और समय पर अभियुक्त पीड़ित के घर में मौजूद था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. प्रकरण चाहे जो भी हो, विधि के अधीन केवल उनका प्रतिकूल दृष्टिकोण इस न्यायालय को पीड़ित का अभिसाक्ष्य और अन्य सामग्री के आधार पर प्रकरण को तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचाने से नहीं रोकता। विधि किसी व्यक्ति को किसी भी अभियुक्त को न्यायालय के बाहर दोषसिद्ध या दोषमुक्त करने का पूर्ण अधिकार नहीं देता। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि पक्षद्रोही साक्षी के कथन को सामूहिक रूप से में दर्ज नहीं किया जा सकता। इस कथन पर समग्र रूप से विचार करना आवश्यक है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या इसे कोई महत्व या विश्वसनीयता दी जा सकती है या नहीं।

15. यह सुस्थापित विधि है कि पक्षद्रोही साक्षी के कथन पर कम से कम उस सीमा तक अवलंब लिया जा सकता है, जिस सीमा तक उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया हो। इस दृष्टिकोण से, विधि का यह प्रस्ताव उभर कर आता है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य अभिलेख से अभिलोपित नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिति की सावधानीपूर्वक परीक्षण की जानी चाहिए ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि उसने अभियोजन के कथन का किस सीमा तक समर्थन किया है।

16. यदि पीड़ित का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय है और प्रकरण के अभिलेख में दर्ज सभी परिस्थितियों से यह ज्ञात होता है कि पीड़ित के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस हेतुक नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए।

17. विधि की यह भी लगभग सुस्थापित स्थिति हो गई है कि दोषसिद्धि पीड़ित के एकमात्र कथन के आधार पर हो सकती है, परंतु कि वह न्यायालय का विश्वास प्रेरित करे।

18. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, यद्यपि अ.सा.–1 और अ.सा.–4 अभी तक पक्षद्रोही हो गए हैं, फिर भी न्यायालय में उनके कथन को चुनौती नहीं दी गई है, जहाँ तक घटना की तारीख और समय पर पीड़ित के घर में अभियुक्त की उपस्थिति का संबंध है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित/अ.सा.–5 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना की तारीख और समय पर जब उसकी माँ काम पर गई हुई थी, अभियुक्त उसके घर आया था। दोपहर का भोजन करने के बाद वह खेलने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन अभियुक्त ने उसे यह कहकर रोक लिया कि वह उसके लिए गाना बजाएगा, और उसे कमरे के अंदर ले गया। वहाँ कमरे में, अभियुक्त ने उसे फर्श पर लिटा दिया, उसे कंबल से ढक दिया और अपनी पैंट और अंडरवियर उतारने के बाद, लैंगिक संभोग बनाए। उसने आगे कथन किया है कि जब उसकी माँ आई, तो उन्हें आते देख वह मौके से भाग गया। उसने यह भी कथन किया है कि 2 वर्ष पूर्व भी इस अभियुक्त ने ऐसा ही कृत्य किया था, यद्यपि, उसकी माँ की उपेक्षा के कारण उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। उन्होंने चिकित्सक द्वारा अपनी जाँच और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कथन दर्ज किए जाने के तथ्य को अभिलेख पर साबित कर दिया है। उसका उपरोक्त कथन पुलिस और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए उनके पूर्व कथन के अनुरूप पाया गया है। अपने अल्प आयु के बावजूद, उन्होंने प्रतिपरीक्षण के दौरान दिए गए सुझाव के महत्व को समझते हुए न केवल बचाव पक्ष के सुझाव का खंडन किया है, बल्कि अभियुक्त के शर्मनाक कृत्य को भी दोहराया है। उसने अ.सा.–1 और अ.सा.–4 द्वारा उनके घर में अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में बताई गई कहानी को भी गलत साबित किया है कि रिश्तेदार होने के नाते वह घटना की तारीख और समय पर उनके घर गए थे और अभियुक्त के हाथ में मोबाइल फोन तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. इस प्रकार, अ.सा.–5 अपने कथन पर अडिग रहा। यद्यपि, एक बाल साक्षी होने के नाते, उसने घटना के तथ्य के संबंध में अभियोजन के सुझाव का सकारात्मक रूप से समर्थन किया है। ऐसा नहीं था कि वह हर सुझाव को स्वीकार कर रहा था। जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिए जाने के बाद कि अभियुक्त ने कथित कृत्य नहीं किया है, उसने न केवल इस सुझाव का खंडन किया, बल्कि अपराध में अपनी भूमिका भी बताई। उसने एक स्वाभाविक साक्षी की तरह कथन दिया है और इस प्रकार उसका कथन इस न्यायालय का विश्वास प्रेरित करता है। न्यायालय में परीक्षण के दौरान, प्रारंभ में घटना के तथ्यों के बारे में स्वेच्छा से न बोलते हुए, पीड़ित की आयु को दृष्टिगत रखते हुए और इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि उसी दिन उसका भी परीक्षण कराया गया

जिस दिन उसकी माँ पक्षद्रोही हो गई, उसे भी उसकी माँ ने ही सिखाया होगा जिससे उसकी मानसिक स्थिति भ्रमित हो गई होगी, इस न्यायालय का विवेक इसे अनदेखा करने की सलाह देता है। वैसे भी, एक स्वाभाविक साक्षी, विशेषतः एक बाल साक्षी, जो अपने चाचा के हाथों अप्राकृतिक लैंगिक/शारीरिक संभोग का शिकार हुआ है, के कथन में मामूली विरोधाभासों पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

20. पॉक्सो अधिनियम के अधीन प्रकरण में, 'उत्कृष्ट' साक्षी उस साक्षी को कहते हैं जिसकी साक्ष्य उच्च गुणवत्ता और क्षमता की हो, इस सीमा तक कि न्यायालय बिना किसी अतिरिक्त संपुष्टि के घटनाओं के उनके कथन को स्वीकार कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई प्रकरणों में यह अवधारित किया है कि पीड़ित का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है, यदि वह विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो।

21. **राय संदीप उर्फ दीनू विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), 2012 (8) एससीसी 21** प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "22. हमारे सुविचारित अभिमत में, 'उत्कृष्ट साक्षी' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका कथन, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन पर विचार करने वाला न्यायालय बिना किसी संकोच के उसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए, उसकी स्थिति मायने नहीं रखती और उसके द्वारा दिए गए कथन की सत्यता ही सुसंगत होगी। इससे भी ज़्यादा सुसंगत होगा एकरूपता जो कथन की प्रारंभ से लेकर अंत तक, अर्थात् उस समय जब साक्षी प्रारंभिक कथन देता है और अंततः न्यायालय के सामने कथन देता है। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में कोई मिथ्या नहीं होनी चाहिए। प्रतिपरीक्षण चाहे कितना लम्बा और कठिन क्यों न हो, साक्षी उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की आंशका नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध का ढ़ंग, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ का अभिमत, से सह–संबंध होना चाहिए। उक्त विवरण, हर दूसरे साक्षी के विवरण से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को

उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषसिद्ध कर सके। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का विवरण उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी पूर्ण करता हो, यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसके विवरण को न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार कर सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्टता के हेतु, अपराध के मूल अवधारणा पर उक्त साक्षी का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक साक्ष्य, तात्विक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिएं ताकि अपराध की विचारण करने वाला न्यायालय, अपराधी को आरोपित आरोप की दोषसिद्धि हेतु अन्य सहायक सामग्रियों की जाँच करने हेतु मूल संस्करण का अवलंब ले सके।"

22. डॉ. रोहन अ.सा./11 ने अपनी परीक्षा रिपोर्ट प्र.पी./22 की संपुष्टि की है और उसे अभिलेख पर प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार लैंगिक संभोग की संभावना की संपुष्टि हुई है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि गुदा क्षेत्र पर खरोंच देखी गई थी और पीड़ित भयभीत था और परीक्षण के दौरान रो रहा था। उसके अंडरवियर पर भी रक्त जैसे धब्बे देखे गए थे। अ.सा.–11 ने अपनी रिपोर्ट प्र.पी./23 के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त लैगिक संबंध बनाने में सक्षम था। इस प्रकार अ.सा.–4 का कथन चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी संपुष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, उसके अतिरिक्त अन्य आधिकारिक साक्षियों, अ.सा.–7, अ.सा.–8, अ.सा.–12, अ.सा.–13 और अ.सा.–15 ने अपना पक्ष विधिवत साबित कर दिया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई भी ठोस तथ्य स्पष्ट नहीं किया जा सका।

24. अतः, अ.सा.–11 के कथनों और रिपोर्ट प्र.पी./23 के माध्यम से यह अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त लैगिक संबंध बनाने में सक्षम था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी./22 पीड़ित के साथ लैंगिक संभोग बनाने को साबित करती है। पीड़ित/अ.सा.–5 ने स्पष्ट रूप से अपने विरुद्ध उक्त अपराध करने में अभियुक्त की भूमिका बताई है। अ.सा. की उपस्थिति न केवल बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान चुनौती रहित रही, बल्कि यह एक स्वीकृत तथ्य भी है। अभियुक्त के पीड़ित का चाचा/रिश्तेदार होने पर कोई विवाद नहीं है। पीड़ित की आयु 12 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। अतः, उपरोक्त सामग्री अभिलेख पर होने के कारण, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि अभियोजन ने अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है कि 7 अप्रैल, 2018 को दोपहर लगभग 1 बजे, उपरोक्त अभियुक्त ने 12 वर्ष से कम आयु की पीड़ित के साथ लैंगिक संभोग बनाए। तदनुसार, बिंदु "B" का उत्तर सकारात्मक है।

25. इस प्रकार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपना प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को उचित ठहराया जाता है। वर्तमान अपील सारहीन है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

26. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक जहाँ अपीलार्थी कारावास का दण्ड भुगत रहा है, को प्रेषित करे ताकि वह अपीलार्थी को यह सूचित करे कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

27. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि और मूल अभिलेख संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/– **(बिभु दत्त गुरु)** **न्यायाधीश**	सही/– **(रमेश सिन्हा)** **मुख्य न्यायाधिपति**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**